`

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** के माह **अप्रैल 2019 से मार्च 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री राजेश डोभाल ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक **17/11/2020 से 26/11/2020** तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा श्री राजा रंजन राव, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री जोगिन्दर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/06/2019 से 28/06/2019 तक श्री संजय कुमार वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह दिसम्बर 2016 से मार्च 2019 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतः जांच की गई थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** के द्वारा एस.टी.पी. का रख-रखाव एवं सीवरेज यंत्रों का संचालन एवं रख-रखाव के कार्य किये जाते है ।भौगोलिक अधिकार नई टिहरी जिला के चम्बा, प्रतापनगर, जाखवीधार, जौनपुर,थैलधार एवं नरेन्द्रनगर खण्ड है।

(ii) बजट

लेखापरीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य/व्यय	
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2017-18	-84.16	96.06	699.5	512.05	791.41	820.65	103.29	66.82
2018-19	103.29	66.82	755.18	836.47	1204.27	1115.56	22.00	155.53
2019-20	22.00	155.53	562.66	700.38	1852.93	1726.57	-115.72	281.89

(iii) इकाई को बजट आवंटन योजना हेतु केन्द्रीय सहायता, राज्य अनुदान एवं स्वयं के श्रोत से किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**B**"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग

मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु माह नवम्बर- 2019 का चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – II (ब)

प्रस्तर-1: ì 4.00 करोड़ धनराशि की शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो से जलमूल्य एवं सीवर चार्ज की वसूली न किया जाना|

उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन स. 1265/ उन्तीस (1) / 2010 – (03 अधि0) /11- दिनांक 28-02-2011 (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक को भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक है , यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विछेदन की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है |

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण शाखा, उत्तराखंड, जल संस्थान, नई टिहरी के चालू वर्ष 2019-20 के शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो जलमूल्य सीवर चार्ज के वसूली संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो से जलमूल्य सीवर चार्ज ` 1,31,64,955.00[1] की वसूली लम्बित पड़ी हैं।

जबकि देयकों उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किए गए 08 माह से ज्यादा का समय हो चुका है उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन के अनुसार कार्यालय द्वारा या तो विछेदन की जानी चाहिए या तो संबन्धित शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो से जलमूल्य सीवर चार्ज से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी परंतु खण्ड द्वारा वसूली की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है जिसके फलस्वरूप ` 1,31,64,955.00 वसूली हेतु लंबित पड़ी हुए है |

निम्न वर्षो के अंत मे खंड के ग्रामीण एवं नगरीय राजस्व वसूली की बकाया इस प्रकार है –

क्रमांक	मद का नाम	प्रारम्भिक अवशेष 01-04-18 / 01-04-19/01-04-20	अप्रैल से इस माह तक की वर्तमान मांग	कुल मांग	अप्रैल से इस माह तक की सकाल प्राप्ति	अंतिम अवशेष
1.	जल परिव्यय					
2.	मोटर भाड़ा					
3.	जल स्तम्भ शुल्क					
4.	सीवर सीट शुल्क					
1.	योग (01-04-18)	26737072.69	104592	26841664.69	1067382	25774282.69
2.	योग (01-04-19)	27236539.69	21380	27257919.69	356563	26901356.69
3.	योग (01-04-20)	40401494.39	78585	40480079.39	495571	39984508.39

[1] ` 70029414.00 - ` 56864459.00 = ` 1,31,64,955.00

वर्ष 2019-20 मे खंड द्वारा शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो से जलमूल्य सीवर चार्ज की कुल मांग ` 7,00,29,414.00 की गयी थी जिसके सापेक्ष खंड द्वारा ` 5,68,64,459.00 की वसूली की गयी। अंतरीय धनराशि ` 1,31,64,955.00 की कम वसूली की गई।

उपरोक्त से संबन्धित अभिलेखों की जांच / विश्लेषण में निम्न विभाग/भवन के जलमूल्य सीवर चार्ज की वसूली के कुछ बड़े बकायेदारों का प्रकरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	**मांग संख्या**	**विभाग/भवन का नाम**	**पता**	**1/4/2019 से 31/3/2020 तक की अवशेष सूची**
1	51503	जूनियर हाई स्कूल बादशाही थौल	बादशाहीथौल	219592
2	51504	पटवारीचोकी बादशाहीथौल	बादशाहीथौल	266573
3	70069	प्रधानाचार्य राजकीय महाविध्यालया कला संकाय	नई टिहरी	2166602
4	70071	प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श विध्यालया	नई टिहरी	455682
5	70081	जिला अस्पताल बौरारी चिकित्सा अधीक्षक	नई टिहरी	329859
6	70156	विनोद पोखरियाल शक्ति मोटर्स चंबा	चावलखेत नई टिहरी	321355
7	70181	अध्यक्ष जामा मस्जिद फइजेआम	बौरारी	208372
8	70072	कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान	नई टिहरी	213380
9	70074	प्रधानाचार्य संस्कृत महाविध्यालय कैम्पस कार्यालय	नई टिहरी	364581
10	51428	पटवारी चौकी	टुरिस्ट रोड चंबा	266787
11	51443	इंचारज सकलाना रेंज	निचला चंबा	203876
			योग	**5016659**

उपरोक्त दिये गए तीन वर्षो के राजस्व बकाया विवरण से यह इंगित होता है कि वर्ष 2018 के अंत मे ` 2.58 करोड़, वर्ष 2019 के अंत में ` 2.69 करोड़ तथा वर्ष अप्रैल 2020 के अंत तक ` 4.00 करोड़ का बकाया चला आ रहा है।

उपरोक्त अधिनियम The UP Water Supply and Sewerage Act, 1975 के अंतर्गत जलमूल्य सीवर चार्ज की वसूली नही किए जाने वाले संबन्धित शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो पर खंड द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त के संबंध मे अवगत करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा कि बकाया वसूली की कार्यवाही कर धनराशि वसूल की जाएगी।

नई टिहरी शहर विस्थापित शहर होने के कारण जनप्रतिनिधियों/नगरवासियों द्वारा निशुल्क जलपूर्ति की मांग निरंतर की जाती है। तथा समय-समय पर आंदोलन भी किये जाते है जिसके फलस्वरूप अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1 दिनांक 07.03.19 द्वारा विस्थापितों के देयकों माफ/समाप्त किए जाने आदेश निर्गत किये गये। जिसके फलस्वरूप राजस्व वसूली प्रभावित हुई है।

राजकीय विभागों से अवशेष राजस्व वसूली वसूल करने हेतु निरंतर प्रयास किये जाते है। संबन्धित विभागों से बजट प्राप्त होने के पश्चात जलमूल्य का भुगतान किया जाता है। तथापि व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर एवं राजस्व टीम का गठन कर भी वसूली की कार्यवाही की जाती है।

विभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है उपरोक्त राजस्व बकाया की धनराशि कई वर्षो से वसूली हेतु लंबित है, जहां तक जल मूल्य एवं सीवर शुल्क देयकों को माफ करने के संबंध में दिनांक 07 मार्च 2019 को जारी शासनादेश का प्रश्न है वह मात्र टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों हेतु लागू है जो खंड के नई टिहरी में लागू होता है, जबकि खंड के 09 इकाइयों में से 08 इकाइयों में तथा नई टिहरी इकाई के राजकीयों विभागो पर उक्त शासनादेश लागू नहीं है, यहाँ उल्लेखनीय है कि नई टिहरी इकाई में जल मूल्य एवं सीवर शुल्क देयकों में अधिकांश हिस्सा राजकीय विभागो का है।

इस प्रकार ` 4.00 करोड़ धनराशि की शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो से जलमूल्य एवं सीवर चार्ज की वसूली लंबित पड़ी है जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक भार पड़ रहा है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग – II (ब)

प्रस्तर-2: धनराशि की उपलबधता के बिना व्यय किया जाना, परिणामस्वरूप ₹ 0.92 लाख की देयता सर्जित किया जाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड चम्बा की फिफल्टी तल्ली योजना हेतु धनराशि ` 13.00 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष ` 11.63 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रश्नगत योजना के सापेक्ष ` 10.47 लाख ही अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा ` 11.39 लाख व्यय किया गया था। कार्य ओपूर्व में ही समाप्त हो गया था। कुल अवमुक्त धनराशी से ` 0.92 लाख अधिक व्यय किया गया था। भारत सरकार कि प्रश्नगत योजना बंद हो चुकी थी।

इस प्रकार इकाई द्वारा धनराशी की उपलब्धता न होने के बावजूद कार्य पर व्यय किया गया था । उपलब्ध धनराशि/अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं था । एवं वित्तीय नियमों के विपरीत था ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकडों की पुष्टि करते हुए उत्तर में बताया कि धनराशि अवमुक्ति की प्रत्याशा में व्यय किया गया । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना धनराशि अवमुक्ति/धनराशि उपलब्धता के व्यय करके देता का सृजन किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं था। साथ ही कार्य मार्च में ख़त्म हो गया था ओर भारत सरकार द्वारा योजना भी बंद कर दी गयी थी । मार्च 2020 से लेखा परीक्षा तक इकाई को धनराशि अवमुक्त नही थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर-3: UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशानिर्देशों का अवहेलना कर 15790 घरेलू-अघरेलू संयोजन मे मीटर विहीन जलापूर्ति किया जाना।

14th Finance Commission Report के पैरा-15.50 के Point No.92 के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र मे शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना था तथा नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था।

"States(urban and rural bodies) should progressively move towards 100 per cent metering of individual drinking water connections to households, commercials establishments as well as institutions. All existing individual connections in urban and rural areas should be metered by March 2017 and the cost of this should be borne by the consumers. All new connections should be given only when the functioning meters are installed."

UP Water Supply and Sewerage Act 1975 के Chapter VII के अंतर्गत बिन्दु संख्या-69 के अनुसार-"The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with works of the Jal Sansthan." जबकि कार्यालय द्वारा मीटर के संयोजन ना कर घरेलू तथा अघरेलू संयोजन मे विगत कई वर्षों से जलापूर्ति किए जा रहे हैं जो प्रावधानों के अनुसार नही हैं।

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना (मार्च 2020 तक) के अनुसार-

संयोजन का प्रकार	कुल संख्या	मीटर सहित	मीटर विहीन
घरेलू (domestic)	14854	0	14854
अघरेलू (commercial)	974	38	936
		कुल	15790

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि मीटर संयोजन की कार्यवाही की जा रही हैं खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि कई वर्षों से मीटर का संयोजन ना कर घरेलू तथा अघरेलू संस्थाओं मे जलापूर्ति की जा रही हैं।

अत: UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशानिर्देशों का अवहेलना कर 15790 घरेलू-अघरेलू संयोजन मे मीटर विहीन जलापूर्ति किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-4 : पदोन्नति पर दो वेतन वृद्धि देकर वेतन के रुप में ` 8288.00 एवं कर्मचारी को भवन आवंटन के पश्चात भी मकान किराया भत्ता ` 7650.00 का अतिरिक्त भुगतान किया जाना।

(क) *उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड* सरकारी *सेवक वेतन नियम 2016" के विन्दु संख्या 13 (01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण) के द्वारा वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाना चाहिएः*

संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (लेवल) से दूसरे स्तर (लेवल) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण, एक वेतनवृद्धि उस स्तर (लेवल) में दी जायेगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (लेवल) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नही है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि खण्ड में कार्यरत श्री एस.एस चौहान (वरि0 प्रशासनिक अधिकारी) का पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी से वरि0 प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 26/06/2020 को लेवल-07 से लेवल-08 में हुआ था सेवापुस्तिका की जांच में पाया गया कि 26/06/2020 को लेवल-07 (` 53600.00) मे एक वेतन वृद्धि देते हुए लेवल-08 (` 55200.00) पर निर्धारित किया गया था। पुनः आगे जांच में पाया गया कि "प्रोन्नति होने के फलस्वरुप समान आने पर उच्च प्रक्रम पर निर्धारित वेतन" को इंगित करते हुए 26/06/2020 को वतेन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देते हुए ` 56900.00 पर निर्धारित किया गया जबकि 26/06/2020 को एक वेतन वृद्धि पूर्व में दी जा चुकी थी। एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने से श्री चौहान को 26/06/2020 से लेखापरीक्षा अवधि तक ` 8288.00 का अधिक भुगतान हुआ है।

खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि श्री चौहान का वेतन निर्धारण वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं शासनादेश संख्या- 11/XXVII(7)30(14) दिनांक 17 फरवरी 2017 के संलग्नक-1 के अनुसार उक्त सुविधा प्रदान की गयी है एवं मुख्यालय के आदेशानुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्दि दी गयी है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं शासनादेश संख्या 11/XXVII(7)30(14) दिनांक 17 फरवरी 2017 उक्त पदोन्नति पर लागू नहीं होता है तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के मुख्यालय का आदेश भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ख) कार्यालय के नवम्बर 2019 के वेतन विल पंजिका/अभिलेखों की जाच में पाया गया कि कार्यालय में 31 अधिकारियों/कर्मचारियों को नई टिहरी में आवासीय भवन आवंटित थे। भवन अनुरक्षण शुल्क (लाइसेंस फी) के विवरण में पाया गया कि **श्री जयपाल सिंह (जू0 फि0)** के वेतन से भवन अनुरक्षण (लाईसेंस फी) के रुप में ` 50.00 की कटौती की जा रही थी जिससे स्पष्ट था कि इन्हे भवन आवंटित था।

वेतन बिल पंजिका/अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भवन अनुरक्षण (लाइसेंस फी) की कटौती करते हुए भी नवम्बर-19, दिसम्बर-19 एवं जनवरी-20 में HRA (House Rent Allowance) प्रतिमाह ` 2550.00 (कुल ` 2550.00*3= ` 7650.00) वेतन के साथ दिया गया था।

लेखपरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि उक्त महीनों में दिये गये HRA की वसूली नवम्बर-20 के वेतन से कर दी जायेगी। उक्त से स्वतः स्पष्ट था कि श्री जयपाल सिंह (जू0 फिटर) को उक्त तीन महीनों में HRA का अतिरिक्त भुगतान किया गया है।

उक्त दोनों प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर-5: जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त धनराशि मे से अवशेष धनराशि वापिस नही किया जाना एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) नही भेजा जाना।

नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना के अंतर्गत 400 के0वी0ए0 के 01 ट्रांसफार्मर एवं 01 यूटिलिटी क्रय करने हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा पत्रांक-851/13-08(2)(2017-18) दिनांक-16.09.2019 को ` 20.73 लाख (` 2.95 लाख ट्रांसफार्मर एवं ` 7.78 लाख बोलेरों हेतु) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति General Manager, UJS, JAL Bhawan, Dehradun द्वारा ` 23.07 लाख (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) की दी गयी थी।

ट्रांसफार्मर हेतु विभाग द्वारा दिनांक-31.10.2019 को दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" मे निविदा आमंत्रित की गयी थी। न्यूनतम दर ` 1120000.00 के आधार पर मैसर्स सर्वोकान सिस्टम लि0, दिल्ली को चुना गया।

मैसर्स सर्वोकान सिस्टम लि0, दिल्ली की किए गए बिल/वाउचर के अवलोकन मे देखा गया कि उक्त कंपनी को ट्रांसफार्मर के लिए कुल ` 13,21,600.00 का भुगतान किया गया।

खंड द्वारा बोलेरों केम्पर ` 6,82,472.00 मे खरीदा गया। इस प्रकार कुल ` 20,04,072.00 का भुगतान किया गया एवं ` 69,000.00 राशि अवशेष बची थी। जिसे वापस किया जाना चाहिए था परंतु खंड द्वारा यह धनराशि वापस नही की।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के उक्त पत्रांक के अनुसार आवंटित धनराशि के संबंध मे नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करे। खंड द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र नही भेजा था।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि वापिस की जाएगी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जायेगा। खंड का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपतियों की पुष्टि करता हैं।

अत: जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त धनराशि मे से अवशेष धनराशि वापिस नही किए जाने एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) नही भेजे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग – II (ब)

प्रस्तर-6: उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रावधानों की अवहेलना कर बिना निविदा आमंत्रित किये रु 250 लाख की कार्य/योजना का ठेका दिया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुसार ` 2.50 लाख से अधिक लागत का कार्य का ठेका निविदा आमंत्रित करके किया जाना चाहिए।

नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना के वार्षिक संचालन एव रखरखाव हेतु वर्ष 2019-20 जिला योजना के अन्तर्गत ` 250.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके सापेक्ष ` 218.79 लाख की तकनीकि स्वीकृति मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून द्वारा प्रदान की गई थी। योजना के अन्तर्गत Annual operation and maintenance & pumping stations, repair and maintenance work of pump, repair and maintenance of transformer. Supply and installation of sluice and valves आदि कार्य सम्मिलित थे।

अभिलेखों की जांच में पाया गया टिहरी पम्पिंग योजना के अन्तर्गत Civil or Electrical तथा Mechanical एवं अन्य सम्बिन्धित कार्य /रखरखाव कार्यें हेतु विभिन्न अनुबन्ध बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही गठित किये गये थे जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों से विपरीत था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार पुरानी दरो पर रखरखाव तैयार हो गया था अतः अनुबंध को विस्तारित किया गया। इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि टिहरी pumping योजना के रखरखाव का ठेका देने के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन नही किया गया था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	/2010-11	1,2	1
2.	/2014-15	1	1,2,3
3.	/2016-17	1	1,2,3
4.	17/2019-20	-	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कार्यालय द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य
3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री सतीश चन्द्र नौटियाल	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए.एम.जी-2 (Non-PSUs) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSUs)